# कुमाऊँ मण्डल विकास निगम लि0, नैनीताल ।

## निविदा सूचना का विवरण

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि पिण्डारी, कफनी ,सुन्दरढुगा ट्रैकिंग हेतु यात्रियों का सामान तथा निगम की खाद्य सामग्री एवं उपयोगी उपकरणों की निर्धारित शिविरों तक ढुलान हेतु पंजीकृत डाक मुहरबन्द निविदायें निम्न प्रकार आमंत्रित की जाती है :–

| | | |
|---|---|---|
| (1) | पिण्डारी/कफनी | सौंग से फुरकिया एवं वापस सौंग |
| (2) | सुन्दरढुंगा ट्रैकिंग यात्रा | सौंग से सुन्दरढुंगा (कठलिया) एवं वापस सौंग |

पिण्डारी/कफनी/सुन्दरढुंगा ट्रैकिंग यात्रा हेतु निविदा प्रपत्र जमा करने की अन्तिम तिथि **दिनॉक 11.04.2017 सांय 2.00** बजे तक निगम मुख्यालय कार पार्किंग सूखाताल, नैनीताल मान्य होगी, निविदायें टेण्डर बाक्स मे डाली जायेगी जो **दिनॉक 11.04.2017 को सांय 3.00 बजे** उपस्थित निविदादाताओं के सम्मुख अधिकृत समिति द्वारा कार पार्किंग सूखाताल में खोली जायेगी । निविदा के साथ **रू0 10,000/– (दस हजार रूपये)** मात्र की धरोहर राशि का **बैंक ड्राफ्ट जो "कुमाऊँ मण्डल विकास निगम लि0 नैनीताल" के नाम बन्धक** होगी । बिना धरोहर राशि के निविदा मान्य नही होगी ।

निविदायें/निविदाओं की अन्य शर्ते आदि इस निगम के **प्रधान कार्यालय, कार पार्किग सूखाताल नैनीताल** से किसी भी कार्य दिवस में **प्रातः 10 बजे से 5 बजे सॉय** तक **रू0 700/–** + (वेट) नगद धनराशि देकर प्राप्त की जा सकती है ।

प्रबन्ध निदेशक अथवा उनके प्रतिनिधि को किसी निविदा अथवा सभी निविदाओं को बिना कोई कारण बताये निरस्त करने का पूर्ण अधिकार होगा ।

**प्रबन्ध निदेशक**

## निविदा की मुख्य शर्ते :–

1– जिस व्यक्ति के नाम पिण्डारी/ कफनी/ सुन्दरढूँगा के टैण्डर स्वीकृत होगा उसे रू0 10,000/– (दस हजार रूपये) की राशि जमानत के रूप में नकद 3 दिन में जमा करनी होगी ।

2– टैण्डर स्वीकृत होने पर सम्बन्धित ठेकेदार को 110/– रू0 (एक सौ दस रू0) के नॉनज्यूडिशियल स्टैम्प पेपर पर अनुबन्ध किया जाना होगा । निविदा की दरों की वैधता अनुबन्ध की तिथि से (अप्रैल से अप्रैल तक) वैध होगी । निविदा स्वीकृत होने की दशा में अनुबन्ध में हस्ताक्षर करने से पूर्व प्रतिभूतियों के रूप में (Deposit) राज्य सरकार द्वारा निर्धारित स्टैम्प ड्यूटी देय होगी । निगम से तीन दिन के अन्दर अनुबन्ध करना होगा ।

3– न्यूनतम निविदा दाता की निविदा स्वीकृत होने पर कार्य न करने की दशा में / अनुबन्ध में हस्ताक्षर न करने की दशा में उनकी धरोहर राशि जब्त कर ली जायेगी ।

4– ठेकेदार को निगम की आवश्यकतानुसार निगम एवं यात्रियों के सामान हेतु कुलियों एवं खच्चरों का प्रबन्ध करना होगा ।

5– ठेकेदार को यह सुनिश्चित करना अनिवार्य होगा कि कुली भारतीय हो (जो भारत का नागरिक हो) नेपाली कुलियों को यात्रा ढुलान कार्य हेतु कदापि न लगाया जाय ।

6– पिण्डारी, कफनी, सुन्दरढुंगा हेतु सामग्री ठेकेदार को सौंग में दी जायेगी ।

7– किसी भी किस्म की टूट–फूट एवं सामग्री की कमी अथवा खोने के लिये ठेकेदार पूर्णरूपेण उत्तरदायी होंगे । इस सम्बन्ध में निगम के कैम्प प्रबन्धक एवं यात्रियों का प्रमाण–पत्र अन्तिम माना जायेगा ।

8– मार्ग में मजदूरों के लिये आवास, भोजन आदि की व्यवस्था का वैधानिक उत्तरदायित्व निगम का नहीं होगा ।

9– ठेकेदार की यह जिम्मेदारी होगी कि वह विभिन्न कैम्पों में सामग्री समय पर पहुँचायेंगे । यात्रियों का सामान सम्बन्धित यात्री के साथ ले जाने की व्यवस्था करने का पूर्ण उत्तरदायित्व ठेकेदार का होगा ।

10– सामान ढुलान की दर प्रति किलोग्राम प्रति किलोमीटर की दर से होगी ।

11– पिण्डारी ट्रेकिंग यात्रा माह मई, 2017 से प्रारम्भ होगी ।

12– पिण्डारी, कफनी, सुन्दरढुंगा में लगभग 400 यात्रियों के जाने की सम्भावना है । यात्रियों की संख्या में कमी या बढ़ोत्तरी भी हो सकती है ।

13– यात्रा किसी भी माह में प्रारम्भ हो सकती है तथा किसी भी माह में बन्द हो सकती है । इसके लिए ठेकेदार का कोई भी क्लेम निगम की ओर नहीं होगा ।

14– किसी भी प्रकार के विवाद होने पर आर्विट्रेशन में मामला जाने पर उसका न्यायिक क्षेत्र नैनीताल होगा ।

15– किसी भी प्रकार का विवाद होने पर प्रबन्ध निदेशक, कुमाऊँ मण्डल विकास निगम द्वारा दिया गया निर्णय दोनों पक्षों को मान्य होगा तथा निगम के प्रबन्ध निदेशक इस विवाद हेतु आर्विटेटर रहेंगे ।

**16–** यात्रियो के सामान के बीमा, ढुलान हेतु ठेकेदार को भारतीय सीमा के अन्दर एक माह के लिये मान्य बीमा भी करना होगा । यदि बीमा की राशि का भुगतान निगम द्वारा किया जाता है तो यह धनराशि ठेकेदार के बिल से निगम द्वारा काट ली जायेगी ।

**17–** ठेकेदार का दायित्व होगा कि वे ट्रैकर्स/निगम का सामान निश्चित समय पर कैम्पो तक पहुॅचायेगें तथा मार्ग में सामान या खाद्य सामग्री के खोने या क्षति होने पर उसकी वसूली ठेकेदार से सामाग्री के क्रय मूल्य से दुगनी दर से की जायेगी इसके अतिरिक्त यदि ठेकेदार को दी गयी सामग्री आदि में कमी पायी जाती है तो उसकी भी वसूली ठेकेदार से की जायेगी ।

**18–** ठेकेदार द्वारा किसी भी शर्त का उलंघन करने पर, जिससे निगम को आर्थिक क्षति पहुॅचती है अथवा कार्य के असन्तोषजनक रहने पर अनुबन्ध समाप्त कर दिया जायेगा तथा जमानत की राशि जब्त कर ली जायेगी तथा कार्य सन्तोषजनक होने पर जमानत की राशि ट्रैकिंग टूअर्स समाप्ति के तीन माह बाद वापस कर दी जायेगी । इस अनुबन्ध की शर्तो के उलंघन होने पर ठेकेदार द्वारा निगम को जो भी क्षति पहुॅचाई जायेगी उसके लिये ठेकेदार निगम को क्षतिपूर्ति अदा करने के लिये उत्तरदायी होगा ।

**19–** ट्रैकिंग मे जाने वाले ट्रैकर्स का सामान एवं कैम्पों का सामान ठेकेदार को नियत समय पर नियत कैम्पो तक पहुॅचाने की व्यवस्था करनी होगी ।

**20–** ठेकेदार की अनुपस्थिति में कुमाऊॅ मण्डल विकास निगम की सामग्री के ढुलान /सुपुर्दगी हेतु अपने किसी प्रतिनिधि को अधिकृत करना होगा ।

कैम्प निम्न प्रकार निर्धारित होंगे जिनमें परिवर्तन भी हो सकता है ।

**पिण्डारी /कफनी/सुन्दरढुंगा यात्रा के शिविर व इनकी दूरी निम्नानुसार है–**

| | | |
|---|---|---|
| लोहारखेत | – | 03 किमी0 |
| धाकुरी | – | 08 किमी0 |
| खाती | – | 09 किमी0 |
| द्वाली | – | 11 किमी0 |
| फुरकिया | – | 05 किमी0 तथा वापस । |
| लोहारखेत | – | 03 किमी0 |
| धाकुरी | – | 08 किमी0 |
| खाती | – | 09 किमी0 |
| जतोली | – | 08 किमी0 |
| कठलिया (सुन्दरढुंगा) | – | 14 किमी0 तथा वापस |

यदि किसी प्राकृतिक या अन्य कारणों से ट्रैकिंग मार्ग को बदला जाता है तो ऐसी स्थिति में यात्रियों व निगम की सामग्री वैकल्पिक मार्ग से द्वितीय पक्ष को की जानी होगी जिसके अतिरिक्त वास्तविक किसी का भुगतान निर्धारित दरों पर द्वितीय पक्ष को प्रथम पक्ष द्वारा किया जायेगा ।

**21–** उपरोक्त के अतिरिक्त अन्य शर्तों का उल्लेख अनुबन्ध मे उल्लिखित किया जायेगा ।

—————————0—————————

# कुमाऊँ मण्डल विकास निगम लि0, नैनीताल ।

## निविदा का प्रारूप

फोटो

1– निविदा दाता का नाम . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2– पूरा पता . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . .

3– धरोहर राशि हेतु संलग्न बैंक ड्राफ्ट नं0 . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

एवं दिनॉक . . . . . . . . . . . . . . . . . . . PAN/TAN NO. . . . . . . . . . . . . . . . . .

जारी करने वाले बैंक/पोस्ट ऑफिस का नाम . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

4– टेण्डर फार्म की राशि रू0 . . . . . . . . . . . . . .रसीद सं0. . . . . . . . . . . . . . .दिनांक . . . . . . . . . . .

**<u>सामग्री ढुलान की दर</u>**

ट्रैकिंग हेतु यात्रियों के सामान ढुलान करने की दरें दी जाये।

**2– पिण्डारी/कफनी:** सौंग से फुरकिया एवं वापस सौंग तक
(दर/प्रति किलोग्राम प्रति किलोमीटर)

1– पिण्डारी/कफनी रू0 . . . . . . . . . . .

2– सुन्दरढूंगा रू0. . . . . . . . . . . .

मै घोषणा करता हूँ कि **कुमाऊँ मण्डल विकास निगम** द्वारा निर्धारित शर्तो के अनुसार मैं ढुलान कार्य करने को तैयार हूँ तथा मुझे निगम की सभी शर्ते मान्य हैं।

**दिनॉक:**

निविदादाता के हस्ताक्षर

निविदा जारी करने वाला अधिकारी

निविदा खोलने वाला अधिकारी

निविदा स्वीकृत करने वाला अधिकारी